

पंजाब 10 / नि 4-49 / 10

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य
सरकार के उप सांचेव

सेवा में

अध्यक्ष

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी रोडर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 12/01/11

विषय : श्री भारती एकड़मी, एकडेरवॉ, गोपालगंज को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा श्री भारती एकड़मी, एकडेरवॉ, गोपालगंज को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलौक में समीक्षापरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय श्री भारती सोसाइटी के अधीन संचालित है। इस टस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार को प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यापार दिया गया है। इस टस्ट में भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबधित सोसाइटी/न्यास के फेन्वाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनिर्मित भवन में संचालित है, जहां 2 एकड़ भूमि 35 वर्षों की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता वर्ती गई हो। विद्यालय में 13 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के-अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

May Bhushan
Manager
SHREE BHARTI ACADEMY
Ekderwa, Gopalganj

Pranab
Principal
Shree Bharti Academy
Ekderwa, Gopalganj

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता वा 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने याले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे टृप्पूशन शुल्क अधिया किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुशूलित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग शालिकाएं तथा सामाजिक श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को ३० जी० अथवा प्राथमिक कक्ष में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं होना जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो युले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का ज्ञायन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को ३० जी० तथा प्राथमिक कक्षों के लिए प्रवेश लेने याले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्ष का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने रत्न से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कर्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-४६, दिनांक १८.०१.२००८ द्वारा शिक्षक/छात्रों को शोरीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालय द्वारा पालन करता होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर श्री भारती एकड़मी, एकडेरवों, गोपालगंज को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलालक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्यासभाजन

६०/-

(ओकार नाथ आर्य)

सरकार के उप सचिव

जापांक..... ५८ दिनांक १८/०१/११

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को उनके पत्रांक ३१९ दिनांक १५.०७.२०१० के प्रसंग में सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

६०/-

सरकार के उप सचिव

जापांक..... ५७ दिनांक १८/०१/११

प्रतिलिपि : प्राचार्य, श्री मारती एकड़मी, एकडेरवों, गोपालगंज को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

६०/-
सरकार के उप सचिव

Jay Bhulai
Manager
SHREE BHARTI ACADEMY
Ekderwa, Gopalganj

Narayan
Principal
Shree Bharti Academy
Ekderwa, Gopalganj